



मन्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 1690 /रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024
अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 243 यक एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर) में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा करता हूँ।

(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या- 1690 /रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024)तददिनांक।(मेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी /कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।